भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/NOC/2013/518 / 6300 - 6305	Date: 28/5/2014

G.B.Buildwell pvt ltd

C/o Harish Prasad Awasthi,
Electronics palace, Naka Hindola
Lucknow

NO Objection Certificate for Height Clearance

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan. 2010 for Safe and Regular Aircraft Operations.

1 References:

NOCID	LUCK/NORTH/B/102313/17385
Applicant Letter	Dated Nil
AAI Reference	

2. NOC Details for Height Clearance:

Applicant Name	G.B.Buildwell pvt ltd
Type of Structure	Building
Site Address	4A / GH -2, VRINDAVAN YOJNA No-2, Part-1,LUCKNOW
Site Cordinates	26 45 17N -80 57 5E, 26 45 16N -80 57 07E, 26 45 19N -80 57 08E, 26 45 19N -80 57 06E
Site Elevation AMSL in Mtrs	120 Mtrs One Hundred Twenty only
Permissible height above Ground Level in Mtrs	42.50 Mtrs Forty Two Decimal Five zero only
Permissible Top Elevation AMSL in Mtrs	162.50 Mtrs One Hundred Sixty Two Decimal Five Zero only

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will be invalid

b. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft(Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules, 1994.

c. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 162.50 Mtrs, indicated in para 2.

d. The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

e. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the

क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली–110037 दूरभाष : 25652447 फैक्स : 25656451
Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 25656451

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion of Building/Structure/Chimney should be intimated to this office of AAI. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of its validity period.
f. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building.
g. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
h. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: **www.dgca.nic.in**
i. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans as this NOC for height is for the purpose of 'to ensure the safe and regular aircraft operations' and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc
j. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airportsas notified in S0 84(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.
This certificate is issued for **"HEIGHT CLEARANCE ONLY"** with the approval of Competent Authority for **Permissible Top Elevation 162.50 Mtrs.**
(S.S.Bhardwaj) 21/6/2011 Asstt. General Manager(ATM-NOC) For General Manager(ATM),NR Airports Authority Of India
Copy to :
1. The Executive Director(ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
2. GM(NOC)/Airport Director(Bundle).
3. Guard File
4. Executive Engineer, Construction Division-12, U.P.Avas Evam Vikas Parishad, 3/77, 3/78, Vrindavan Yojna, Lucknow
5. Aiport Director, Chaudhary Charan Singh Airport, Lucknow-226009

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ

पत्रांक – 684 प्रनि / मविविनिलि / वा0 / वि0भा0स्वी0 दिनांक: 29.5.2014

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित इकाई / आवेदक के पक्ष में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है :–

इकाई / आवेदक का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	श्रेणी	प्रयोजन	भार कहाँ अवमुक्त किया जाना है
1	2	3	4	5
मेसर्स जी0बी0 बिल्डवेल, प्रा0लि0द्वारा श्री हरीश प्रसाद अवस्थी, 4–ए / जीएच–02, सेक्टर 4, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ	स्वीकृत भार–1060 कि0वा0 (एक हजार साठ कि0वा0 मात्र)	एलएमवी–1(3बी) श्रेणी में 11 केवी विभव पर एकल बिन्दु मीटरिंग के आधार पर	आवासीय	मेसर्स जी0बी0 बिल्डवेल, प्रा0लि0 द्वारा श्री हरीश प्रसाद अवस्थी, 4–ए / जीएच–02, सेक्टर 4, वृन्दावन, योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ

<u>उपरोक्त विद्युत भार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है :–</u>

1– उपरोक्त विद्युत भार विद्युत वितरण संहिता 2005 (संशोधित) में निहित प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

2– उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ की नवीनतम कास्ट डाटा बुक तथा निगम के वर्तमान में लागू सभी नियमों का सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा भार अवमुक्त करने से पूर्व पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि, सिस्टम लोडिंग चार्जेज तथा अन्य शुल्क जो भी लागू हो निगम के नियमानुसार जमा कराये जायेंगे।

3– उपरोक्त विद्युत भार 33/11 केवी उपकेन्द्र–3, वृन्दावन योजना रायबरेली रोड, लखनऊ से निर्गत 11 केवी सेक्टर 4, वृन्दावन फीडर से जोड़ कर निर्गत किया जायेगा, जिस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय भार उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

4– डबल मीटरिंग का प्राविधान आवश्यकतानुसार निगम के विधमान नियमानुसार किया जायेगा।

5– प्रभावित 400/220/132 के0वी0 उप–संस्थानों पर स्थापित परिवर्तको की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा सकती है।

6– विद्युत प्रणाली की लोडिंग के कारण आपूर्ति विभव मानक से कम/अधिक हो सकती है।

7– इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उक्त वर्णित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्ते दिये जाने की तिथि से छः माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में, जो भी तिथि पहले हो, से यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

8– यह स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रतिबन्धित है कि उपभेक्ता को विद्युत भार के उपयोग से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उक्त प्रयोजनार्थ शासन से सम्बन्धित विभाग/सक्षम अधिकारी से लाइसेन्स (यदि नियमतः आवश्यक हो) भी प्राप्त करके सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, को जमा करना अनिवार्य होगा।

9– उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत ही की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।

10– विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में लागू रेट शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।

11– उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन की किसी ट्रंक लाइन को टैप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

12– यदि कालम–5 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले से कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक नहीं अवमुक्त किया जायेगा जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन की धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।

13– यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता द्वारा कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो तो इस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

14– कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा। लागू नियमानुसार देय प्रतिभूति राशि एवं सिस्टम लोडिंग चार्जेज का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

15– उपरोक्त स्वीकृत अतिरिक्त विद्युत भार निर्गत करने हेतु आपूर्ति, मीटरिंग आदि व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किये जाने पर आने वाला व्यय भार उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

16– उपरोक्त विद्युत भार खण्डीय स्तर पर निगम/परिषद द्वारा प्रस्तावित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के बाद ही निर्गत किया जाये।

17– कार्यपूर्ण होने के उपरान्त सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ क्षेत्र से विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के उपरान्त ही आप द्वारा विकसित प्रणाली तंत्र को 11 केवी नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

18– अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही संयोजन अवमुक्त किया जायेगा। सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय से अधिष्ठापन का भारतीय विद्युत नियमावली, नियमों के अन्तर्गत संतोष–जनक प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

विपरीत प्रणाली दशाओं/आपात कालीन रोस्टरिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिए उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का/को जनरेटिंग सेट लगा लें, जिसके लिए वह कारपोरेशन की पूर्व अनुमति अलग से प्राप्त कर लें।

(ए0पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 684–प्रनि/मविविनिलि/वा0/तद्दिनांक 29/5/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.मुख्य अभियंता (वितरण), लेसा, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक 1633–मु0अभि0/लेसा/वाणिज्य–08, दिनांक 24.05.2014 के संदर्भ में।

2.मुख्य अभियंता (पारेषण–मध्य), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, अली मंजिल, निकट फातिमा अस्पताल, सी–40, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।

3 महाप्रबन्धक (वित्त), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।

4 अधीक्षण अभियंता, वि0न0वि0मं0–तृतीय,लेसा, लखनऊ।

5. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

6 अधिशासी अभियन्ता, वि0न0वि0खं0–वृन्दावन, लेसा, लखनऊ।।

रजिस्टर्ड–7 मेसर्स जी0बी0 बिल्डवेल,प्रा0लि0द्वारा श्री हरीश प्रसाद अवस्थी,4–ए/जीएच–02,सेक्टर 4,वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

(एम0एल0 अग्रवाल)
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम, द्वितीय तल नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

पत्रांक: 585/वा0नि0–5/ नि0प्रा0–2011/40 दिनॉक: 20/6/13

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मैसर्स जी0वी0 बिल्डवेल प्रा0 लि0
द्वारा रंजीत सिंह
बी–7 सेक्टर–57 नोयडा (उ0प्र0)

विषयः– ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 4ए/GH-02 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 4ए में स्थित भूखण्ड सं0 4ए/GH-02 हेतु निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 20/6/13 से 19/6/18 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 19410.89 वर्गमी0(बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) तलों में से 5329.81 वर्ग मी0 (बेसमेन्ट+स्टिल्ट फ्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 5269.18 व0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेन्ट फ्लोर एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नही किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 14081.08 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई–12 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निर्माण पश्चात तथा उपयोग से पूर्व अग्निसेवा मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक प–1386/एफ.एस.–09 दिनांक 17–5–2013 के अनुसार अग्निशमन विभाग से पूर्व अग्निसेवा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स जी0वी0 बिल्डवेल प्रा0लि0, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज(अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) माग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0वा0) दिनांक 3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकम्परोधी/2001 /(आ0वा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर दर्शायी गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।
15. आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तन [illegible] का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवंटी को निर्देशित करते हुए [illegible] द्वारा प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी0 तक किया जा सकता है [illegible] माह के अन्दर [illegible] [illegible] निर्माण किया जा सकेगा।

16. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चत कराया जायेगा।
18. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12 के द्वारा यह सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
19. मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक प–1386/एफ.एस.–09 दिनांक 17–5–2013 की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य होगा।

सलंग्नक:

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (8 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (5 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट । (एक सेट)
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप –ब ।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

प्र0 सं0:– /उक्त /
दिनांक:

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई–12 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा। (पूर्णताः प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र –ब की एक प्रति सलंग्न है।)
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबध लखनऊ को शर्त सं0–04, के संदर्भ में ।
5. मुख्य अग्नि शमन जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ सहित ।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र सं0: प-1386/एफ0एस0-09 दिनांक: मई /)- ,2013

सेवा में,

वास्तुविद नियोजक,
उ0प्र0 आवास विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम,
नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर
लखनऊ।

विषयः- प्लाट/खसरा नम्बर 4ए/जी0 एच0- 02 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड जिला लखनऊ में मेसर्स जी0 डी0-बिल्डवेल प्रा0 लि0 द्वारा रंजीत सिंह बी-72, से0-57 नोयडा (उ0प्र0) द्वारा प्रस्तावित समूह आवासीय भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्रांक-86/वा0नि0-5/नि0प्रा0 2011/40 दिनांकः 17.04.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 24.09.2012 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। पुनः प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0 द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

भवन की संरचनाः-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 5269.18 वर्गमीटर।

2- प्रस्तावित भवन के कुल भूतल (स्टिल्ट) का कवर्ड एरिया- 1764.05 वर्गमीटर।

3- प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-तलवार वर्गमीटर (प्रत्येक तलवार विवरण)

- प्रथम तल से आठवे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया- 1732.27 वर्ग मीटर

4- बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- 3565.76 वर्ग मीटर है बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है अतः बेसमेन्ट की छत/स्लेप 45 टन वाहन को सहने की क्षमता की बनायी जाय। इस तथ्य का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया जाय।

5- भवन की ऊंचाई 26.850 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणीः-

प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की ग्रुप ए-आवासीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढ़ाचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः-

भूखण्ड के समाने मानचित्र में 24 मीटर रोड की चौडाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौडाईः- भवन परिसर में दो गेट प्रस्तावित है। जिनकी प्रत्येक की 06-06 मीटर चौडाई है, जो मानक के अनुरूप है।

3-सेटबैकः-

- भवन के अग्रभाग- 12 मीटर,
- पृष्ठ भाग- 12 मीटर
- पार्श्व भाग प्रथम- 12 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय 12 मीटर

C. F. O.
LKW.

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4- निकास मार्गः-

प्रस्तावित भवन में भूतल से आठवें तल तक 02 वाहरी व 02 आन्तरिक स्टेयर केस प्रत्येक की चौडाई 1.50 - 1.50 मीटर मानचित्र में प्राविधानित किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों में ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थायें:-

1- भूमिगत टैंकः-

भवन मानचित्र में 75,000 लीटर पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक प्राविधानित है।

2- पम्पः-

अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 1620 लीटर प्रति मिनट क्षमता का विद्युत चालित एवं डीजल चालित पम्प 1620 लीटर प्रति मिनट क्षमता तथा जोंकी पम्प 180 लीटर प्रति मिनट क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

3- होजरीलः-

प्रस्तावित भवन में होजरील, लैण्डिंग वाल्व आई0एम0-3844 मानकों के अनुसार मानिचत्र में प्राविधानित है।

4- वेटराइजरः-

प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप प्राविधानित है।

5- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

6- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः-

मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टमः- भवन मे आवश्यक नही।

8- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में प्राविधानित है।

9- टेरिस टैंक :-

प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना प्राविधानित है। जिसमें से 10,000 लीटर अग्निशमन कार्य हेतु रखा जाना प्राविधानित है।

10- टेरिस पम्पः-

प्रश्नगत भवन के टैरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार वॉछित है, परन्तु अण्डर ग्राउण्ड टैंक पर फायर पम्प स्थापित किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है। जिसके फलस्वरूप टेरेस पम्प की आवश्यकता नही है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :-

प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया गया है, जो मानकों के अनुरूप है।

12- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः-

- फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 01 हावर्स की प्राविधानित है।
- सिस्टम की मेकअप एअर हेतु व्यवस्था की गई है।
- स्मोक रिजरवायर अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्सन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है। तद्नुसार स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करें।

C.F.O.
LKW.

13- प्रेशराइजेशन प्रणाली- आवश्यक नही है।

14- एक्जिट साईनेज :-

सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्राविधानित किये गये है।

15- पी०ए०सिस्टम:-

पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में मानक के अनुरूप प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार मेंसर्स जी० वी० विल्डवेल प्रा०लि० द्वारा 4ए/जी०एच०-02 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड जिला लखनऊ में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्लकः अनुमोदित मानचित्र

(एच०एस०मलिक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1- मेसर्स जी० वी० विल्डवेल प्रा० लि०, प्लाट/खसरा नम्बर 4ए/जी० एच०- 02 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड जिला लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2- अग्निशमन अधिकारी, पी०जी०आई० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आ०का० हेतु।

(आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था)
निर्माण खण्ड-12, वृन्दावन योजना, लखनऊ

भवन/भूखण्ड का भौतिक कब्जा हस्तान्तरण प्रमाणं-पत्र

शहर का नाम ......लखनऊ.............. योजना का नाम से०② सै०④ भवन/भूखण्ड सं0 4A/

टाइप डिजाइन भूखण्ड...आवंटी का नाम एवं पता मे० जी० बी० ब्युल्ड वेल प्रा० लि० द्वा० रणजीत सिंह B-67 सरिता बिहार नई दिल्ली

सम्पत्ति प्रबन्धक के पत्रांक...11323...दिनांक....3-9-07....एवं खण्ड के पत्रांक........1872

दिनांक..11-9-07 के सन्दर्भ में उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा संबधित आवंटी को आज दिनांक ...11-9-07

.... को पीछे अंकित इन्वेन्ट्री में दिये गये विवरण के अनुसार हस्तान्तरित किया जा रहा है। उक्त भवन/भूखण्ड की माप एवं क्षेत्रफल निम्नवत् है।

भूखण्ड का क्षेत्रफल 5269.18 वर्ग मी.

भूखण्ड के सामने की माप 85.40 मी.

भूखण्ड के पीछे की माप 85.40 मी.

भूखण्ड के बायें किनारे की माप 63.00 मी.

भूखण्ड के दायें किनारे की माप 60.40 मी.

उपरोक्त विवरण का स्थल सत्यापन करते हुए भूखण्ड/भवन संख्या.......4A/GH-2.......... का भौतिक कब्जा का हस्तान्तरण किया गया।

परिषद की ओर से कब्जा हस्तान्तरित किया गया

हस्ताक्षर [signature]

अवर अभियन्ता का नाम कृष्णानन्द

खण्ड का नाम-निर्माण खण्ड-12

आवंटी की टिप्पणी यदि कोई हो

कब्जा प्राप्त किया

हस्ताक्षर [signature]

आंवटी का नाम मे० जी० बी०

बुल्ड वेल प्रा० लि०

पता C/O श्री रणजीत सिंह

B-67 सरिता बिहार

नई दिल्ली

प्रति हस्ताक्षरित

[signature]

सहायक अभियन्ता

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G. B. Nagar Regn. No.5677/08 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

YOGENDRA SINGH
NOTARY NOIDA
G. B. Nagar (U.P.) INDIA

19 MAY 2010

पृ. सं. 2488 / 4A/GH-2 / दिनांक 25/9/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ
2. संबधित आवंटी श्री/श्रीमती...रणजीत सिंह........
3. सहायक अभियन्ता, नि.ख.-12
4. संबंधित अवर अभियन्ता श्री कृष्णानन्द...........

1. आन्तरिक विद्युतीकरण का प्रतिस्थापन -

NIL

2. आन्तरिक जलापूर्ति एवं जलोत्सारण कार्यों का प्रतिस्थापन

NIL

3. अन्य मद

1. पैनल दरवाजा, (लकड़ी, एंगिल आयरन चौखट सहित)
2. फ्लश दरवाजा, (लकड़ी/एंगिल आयरन चौखट सहित)
3. वेलन, (स्लाडिंग बोल्ट/आक्सीडाइज्ड/अल्यूमीनियम)
4. सिटकनी, (आक्सीडाइज्ड/अल्यूमीनियम)
5. हैन्डिल, (आक्सीडाइज्ड/अल्यूमीनियम)
6. दरवाजा स्टापर
7. खिड़की लोहे की ग्रिल सहित
8. खिड़की के पल्ले दानेदार/प्लेन ग्लास सहित
9. ताला एवं चाभी

NIL

कब्जा दिया

हस्ताक्षर

अवर अभियन्ता

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की ओर से

निर्माण खण्ड-12

इन्वेन्ट्री में अंकित समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करके संतोषजनक स्थिति में भवन/भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया।

हस्ताक्षर

आवंटी का नाम व पता

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B. Nagar Regn. No. 5/7/05 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

YOGENDRA SINGH NOTARY NOIDA G. B. Nagar (U.P.) INDIA

G. B. Buildwell Pvt. Ltd.

Director

19 MAY 2010

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड - 12

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

3/77-3/78, वृन्दावन योजना, लखनऊ

पत्रांक :

दिनांक :

सहायक अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ
निर्माण खण्ड-12
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

विषय : वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सम्पत्ति संख्या 4A/ G.H.[illegible] को भौतिक कब्जा देने के सम्बन्ध में।

सम्पत्ति प्रबन्धक, वृन्दावन योजना-लखनऊ ने अपने पत्रांक 11323 दिनांक 3-9-07 द्वारा सूचित किया है कि भवन/भूखण्ड/व्यवसायिक भूखण्ड/डुप्लेक्स भवन संख्या 4A/ G.H-2 के आवंटी श्री/श्रीमती मै० जी० बी० बुल्डवेल प्रा० C/o श्री रणजीत सिंह के पक्ष में दिनांक .... को विलेखों का निष्पादन किया जा चुका है।

अतः कृपया आप उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 30-9-07 तक सुनिश्चित करें तथा इन्ट्री चार प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

मुख्य सहायक

पृ. सं० 1872 /

दिनांक 11-9-07

प्रतिलिपि :-

1. श्री/श्रीमती मै० जी० बी० बुल्डवेल प्रा० लि० C/o श्री रणजीत सिंह पुत्र/पत्नी .... निवासी B-67 सरिता विहार, नई दिल्ली

प्रेषित कि वे खण्ड के अवर अभियन्ता श्री [illegible] को इस आशय से दिनांक 30-9-07 तक उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अवश्य प्राप्त कर लें, उल्लेखित तिथि तक कब्जा न करने की दशा में रु. 50/- प्रतिदिन की दर से रख-रखाव शुल्क देना होगा।

2. श्री [illegible] अवर अभियन्ता को इस आशय से कि आप उक्त तिथि तक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा आवंटी को अवश्य दे दें, यदि भौतिक कब्जा दिये जाने में कोई असुविधा हो रही हो तो अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत करायें। [illegible]

मुख्य सहायक 11/9/07

G. B. Buildwell Pvt. Ltd.

Director

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B. Nagar Regn. No. [illegible] GOVT OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

YOGENDRA SINGH
NOTARY NOIDA
[illegible]

19 MAY 2010

Office of the Executive Engineer

Construction Division-12

U.P. Avas Evam Vikas Parishad,
3/77, 3/78 Vrindavan Yojana,
Lucknow.

SITE PLAN OF ~~HOUSE~~/PLOT/ NO. 4A/GH-2 TYPE DESIGN PLOT

VRINDAVAN YOJNA NO-2, PART-I, LUCKNOW

NAME OF ALLOTTEE SRI/~~SMT~~ G. B. BUILDWELL PVT. LTD.

PLOT SIZE $\frac{60.40 + 63.00}{2}$ X 85.40 M

TOTAL PLOT AREA 5269.18 SQM

NORTH PLOT NO. 4A/GH-3

SOUTH PLOT NO. 4A/GH-1

EAST IRRIGATION BOUNDARY

WEST 24.00 M WIDE ROAD

NOTARY YOGENDRA SINGH NOIDA G. B. Nagar Regn. No. 5577/09 GOVT. OF INDIA

PHOTO COPY ATTESTED

YOGENDRA SINGH
NOTARY NOIDA
G. B. Nagar (U.P.) INDIA

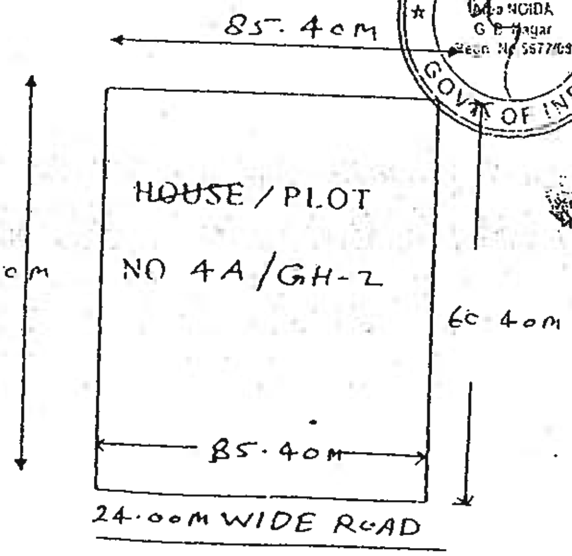

19 MAY 2010

G. B. Buildwell Pvt. Ltd. Director

For G. B. BUILDWELL PV

29.8.07

D/MAN J.E. A.E. सहायक आवास आयुक्त E.M.O. वृन्दावन योजना ALLOTTEE Authorised Signatory

आवंटी

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय
सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
2C/53,54&55
वृन्दावन योजना,रायबरेली रोड़,लखनऊ
/सं०प्र०वृन्दावन/

पत्रांक 11525

सेवा में,

दिनांक: 01/9/06

मै० जी०बी०ब्यूल्डबेल प्राइवेट लि०
38/1 ईस्ट पंजाबी बाग,
नई दिल्ली।

विषयः— परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 4A/GH-2 आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे आपको सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी दि० 28.07.06 में सम्मिलित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 4A/GH-2 हेतु आप द्वारा बोली गयी उच्चतम् बोली रू० 7,206.00 प्रति वर्ग मीटर को संयुक्त आवास आयुक्त लखनऊ जोन के पत्र सं० 1017/ ल०जो० दि० 26.08.06 द्वारा स्वीकृत की सूचना प्रेषित की गयी है।

अतः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 4A/GH-2 का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है:—

(1)	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 4A/GH-2 का क्षेत्रफल	5269.18 व०मी०
(क)	स्वीकृत उच्चतम् बोली	रू० 7,206.00प्र०व०मी०
(ख)	भूखण्ड का कुल मुल्य एवं फी—होल्ड शुल्क सहित	रू० 3,79,69,712.00
(ग)	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	रू० 39,70,000.00
(घ)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20% धनराशि जो दिनांक 30.11.2006 तक देय है(जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है।)	
(ड.)	प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 28.02.07 तक देय है।	रू० 36,23,943.00
(च)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.05.07 तक देय है।	रू० 37,96,971.00
(छ)	प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.08.07 तक देय है।	रू० 37,96,971.00
(ज)	स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 18% ब्याज सहित 72 मासिक किश्ते दि० 01.09.07 से देय होगी।	रू० 37,96,971.00 रू० 1,89,84,856.00
(1)	प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि	
(2)	मासिक किश्तों की संख्या—72	रू० 4,33,045.00

(3) मासिक किश्त प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक से देय होगी।

(4) जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।

(5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।

क्रमशः 2 पर

(6) प्रदेशनग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियॉ करते हुये निरस्त किया जायेगा।

(7) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशनग्रहीता पर लागू होगें। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।

(8) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

नोटः-

(1) आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि मे हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।

(2) रू० 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।

(3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु रू० 37,97,000.00 का स्टाम्प पेपर।

(4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।

(5) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु रू० 300.00, रू० 50 फ्री-होल्ड पुस्तिका हेतु व रू० 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व्यय हेतु रू० 94,925.00 पंजाब नेशनल बैंक,वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता सं० CA-21432 में दि० 31.08.2007 तक जमा करने का कष्ट करें।

(6) कब्जा हेतु दि० 31.8.2007 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार 01.9.2007 से रू० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

(7) मासिक किश्तो की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा वृन्दावन योजना लखनऊ मे परिषद खाता सं० CA-2147 में जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 24% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।

(9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(10) टोकन धनराशि के रूप मे जमा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते मे समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिमान्य होगा।

भवदीय,

(एस०आर०रावत)
सहायक आवास आयुक्त